



असाधारण

EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 179, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 7 अगस्त, 2012
No. 179, Port Blair, Tuesday, August 7, 2012

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय
अनुरोध

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 7 अगस्त, 2012

अ. तथा नि. द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 (1994 की सं. 7) के धारा 8(2) के अन्तर्गत पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान के अनुमोदन को अधिसूचित करने हेतु सं. 34/2012/फा.सं.25.11/2009 लो.नि.वि. द्वारा अ. तथा नि. असाधारण राजपत्र (दिनांक 1 मार्च, 2012 की सं. 35) में एक अधिसूचना प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त अधिसूचना के क्रम में निम्नलिखित परिवर्धन अनुमोदन अधिसूचना तथा रिपोर्ट शीर्षक "पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र-2030 खण्ड-II" का भाग होगा।

I. अधिसूचना के अनुमोदन के प्रथम पैरा के अंत में 2008 के बाद जोड़ा जाए:-

"पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र सीमाओं के बाहर आने वाले तथा वायपर द्वीप एवं ऑस्टिनाबाद एवं मिनि बे राजस्व गाँव क्षेत्रों के भाग"

II. निम्नलिखित 'पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2030 खण्ड-II' का भाग होगा:-

क्र.सं.	पृष्ठ सं.	उपबंध सं.	पैरा/क./लाईन/टीप/ मानचित्र/तालिका सं.	विवरण
1.	25	4.3.3	तालिका सं. 4.3.3, क्र. सं. 47, शोर प्वाइंट मानचित्र सं. पो.ब्ले.नि. क्षे/गाँव/प्रोप/29	शोर प्वाइंट गाँव के सर्वेक्षण सं. 22/3(पी), 23/पी, 22/1 व 37/1 के तहत प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र सं. पो.ब्ले.नि. क्षे/गाँव/प्रस्त/29 में "उद्यान एवं खुला स्थान, प्राथमिक आवासीय एवं सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक" के स्थान में "परिवहन एवं संचार" पढ़ा जाएगा।
2.	77	4.4.1	क्र.सं. 34	लाईन के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :- "पत्तन प्रबंधन बोर्ड द्वारा अर्जित शोर प्वाइंट गाँव में एवं गोदी तथा पोत मरम्मत सुविधा के निर्माण।"
3.	33	4.7.2	क्र.सं. 15	लाईन के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :- "पत्तन प्रबंधन बोर्ड द्वारा अर्जित शोर प्वाइंट गाँव में एवं गोदी तथा पोत मरम्मत सुविधा के निर्माण।"

4.	41	उपबंध सं. 4.3.3 का मानचित्र सं. 9	पो.ब्ले.नि.क्षे-प्रस्तावित भूमि उपयोग 2030	शोर प्वाइंट गाँव के सर्वेक्षण सं. 22/3(पी), 23/पी, 22/1 व 37/1 1 के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि उपयोग के स्थान पर "उद्यान एवं खुला स्थान, प्राथमिक आवासीय एवं सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक स्थान में "परिवहन एवं संचार" पढ़ा जाएगा ।
5.	24	4.3.3	तालिका सं. 4.3.3 क्र. सं. 13, वार्ड-13, पोर्ट ब्लेयर, प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र सं. पो. ब्ले/वार्ड/प्रस्ता/XIII	वार्ड सं. 13 के सर्वेक्षण सं. 1934/पी, 1935/पी, 1936/पी तथा 1937/पी के (गाँव अबरडीन) अधीन प्रस्तावित भूमि उपयोग के मानचित्र सं. पो.ब्ले/वार्ड/प्रस्ता/XIII में परिवहन एवं संचार के स्थान पर "वाणिज्यिक" पढ़ा जाएगा ।
6.	39 व 41	उपबंध सं. 4.3.3 के मानचित्र सं. 8 व 9	मानचित्र सं. 8 व 9 पोर्ट ब्लेयर शीर्षक के अधीन क्रमशः प्रस्तावित भूमि उपयोग 2030 व पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र-प्रस्तावित भूमि उपयोग-2030	वार्ड सं. 13 के सर्वेक्षण सं. 1934/पी, 1935/पी, 1936/पी तथा 1937/पी के (गाँव अबरडीन) अधीन प्रस्तावित भूमि उपयोग के मानचित्र सं. 8 व 9 में 'परिवहन एवं संचार' के स्थान पर 'वाणिज्यिक' पढ़ा जाएगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त मास्टर प्लान के अनुमोदन हेतु राजपत्र अधिसूचना सं. 34/2012/फा.सं. 25-1/2009-लो.नि.वि द्वारा अधिसूचना अनुमोदित मास्टर प्लान रिपोर्ट शीर्षक 'पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2030 (खण्ड-II)' में समाविष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तों/प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

उप राज्यपाल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के नाम एवं उनके आदेश द्वारा,

ह./-

संयुक्त सचिव (श.वि)

(फा.सं. 3/223/2012. यू.डी.)